म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/औषधि उपज/ 1172 भोपाल,दिनांक 28/01/2019

प्रति,

1 संयुक्त /उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, (समस्त)

2 भारसाधक/सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)

विषयः– औषधि उपजो के संबंध मे।

संदर्भः–मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 जनवरी 2019

विषय संदर्भ मे मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 60 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो मे लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(क) के तहत अनुसूची के शीर्षक ''दस–चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुऐं'' की सूची के अंत मे खरबूजा बीज एवं शीषर्क ''पन्द्रह–कृषि औषधीय उपज'' के सरल क्रमांक 38 के पश्चात सरल क्रमांक 39 से 66 तक कृषि औषधीय उपज को शामिल करने के लिए ऐसे समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है एवं एतद्द्वारा सूचना दी जाती है उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' मे प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह के अवसान होने पर विचार किया जाएगा। सुलभ संदर्भ हेतु राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपके संभाग अन्तर्गत मंडियों मे उपरोक्त राजपत्र दिनांक 23 जनवरी 2019 की प्रति चस्पा कर समुचित प्रचार–प्रसार किया जाये और कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने पर विहित समयावधि मे मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करे।

राजपत्र 23 जनवरी 2019 के आंचलिक कार्यालय/मंडियो मे चस्पा/प्रचार–प्रसार हेतु कृत कार्यवाही का एकजाई पालन प्रतिवेदन एक सप्ताह मे मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करे।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

28.1.19
अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Provided that the Security mentioned in rule 6 is minimum and may be increased upto the total value of actual purchase undertaken by the Licensee at all the centres cumulatively on any given day during the annual Year."

4. **For rule 7(2), 7(3)(i) the following rule shall be substituted, namely:—**

"7(2) The applicant shall deposit in the Board headquarter an amount of Rs. 1000/- (Rupees one thausand) towards application fee, along with application form."

"7(3)(i) The receipt towards deposit of Rs. 1000/- or crossed bank Draft of above amount drawn in favour of the Managing Director."

5. **For rule 8(5) the following rule shall be substituted, namely:—**

In the event of refusal to grant or renew the special license, application fee shall be remain deposited in mandi Board whereas license fee shall be refunded to the applicant.

6. **In rule 10, in Sub-rule (1) after clause (ix) the following clauses shall be added to,namely:—**

"(x) establish CCTV, Cameras at Entrance, sale purchase, payment and weighment counters/areas.

(xi) maintain digital backup system of sale purchase account."

7. **For rule 12(2), 12(5) 12(7) the following rule shall be substituted,namely:—**

"12(2) The applicant shall deposit an amount of Rs. 1000/- (Rupees one thousand) as application fee, in the office of the Board headquarter or shall furnish a crossed bank draft of this amount prepared in favour of the Managing Director."

"12(5) The fee for renewal of special license shall be Rupees 20,000/- (Rupees Twenty Thousand). The license fee shall be payable through account payee demand draft drawn in favour of Managing Director at the time of application."

"12(7) In the event of decision to refuse to renew the special license, application fee shall be remain deposited in Mandi Board whereas license fee shall be refunded to the applicant."

8. **For Point-2 of Form-IV,the following shall be substituted,namely:—**

"An account payee demand draft of Rs. 20,000/- (Rs Twenty thosand) drawn in favour of the Board is enclosed herewith towards license fee bearing No. . . . . .dated . . . .

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2019

क्र. डी-15-74-18-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 60 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(क) के तहत अनुसूची के शीर्षक "दस-चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएँ" की सूची के अंत में खरबूजा बीज एवं "पन्द्रह-कृषि औषधीय उपज" के सरल क्रमांक 38 के पश्चात् निम्नलिखित कृषि औषधीय उपज को शामिल करने के लिए ऐसे समस्त व्यक्तियों की,जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह के अवसान होने पर विचार किया जायेगा:—

स. क्र. (1)	प्रचलित नाम (2)	वनस्पतिक नाम (बॉटनीकल नेम) (3)
39	सुवा	Anethun Sawa
40	असालिया	Lepidium Sativum

(1)	(2)	(3)
41	तारामीरा	Eurea Sativa
42	कलौंजी	Nilgella Sativa
43	असगंध बीज	Withnin somnita
44	असगंध पत्ति	Asangdh Patti
45	मेंहन्दी	Lawsoni Inermis
46	तुलसी पत्ति	Ocimum Sanchutim
47	तुलसी पंचाग	Tulsi Panchang
48	तुलसी बीज	Tulsi Bij
49	नीम् पत्ति	Azadorzethnta india
50	डोलमी	Dolmi
51	पुपाडियाबीज	Pupadiya Bij
52	कंठीली	Kanthili
53	धमुका	Dhmuka
54	शंखपुष्मी	Convolills Pluricaulis
55	अडूसा	Adusa
56	राजमा	Phasealus Vulgaria
57	चिरायताबीज	Swertia chirata
58	अरीठा	Spindus louritaalia
59	कोचबीज	Mucuna prurients
60	हिगोरिया	Cinnamoum Cassia
61	गुडबेल	Pueraria Tuberora
62	अमलतास	Cassiafistula
63	गुवारपाटा	Alobarabadensis
64	भृगराज	Bragraj
65	मुसकदाना	Musakdana
66	जामुन गुठली	Syzygium cumine

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हों राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.